



2026:AHC:56296

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस
संख्या- 1985/2026**

शिवपाल और एक अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	कृष्णा दत्त अवस्थी
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी ए

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण दत्त अवस्थी और राज्य के विद्वान एजीए श्री आशीष कुमार त्रिपाठी की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. वर्तमान आवेदन केस क्राइम संख्या 267/2025 में धारा 115(2), 352, 351(2), 117(2), 110 बीएनएस, पीएस अजीतमाल जिला औरैया के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि सह-आरोपी संतोष कुमार को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 8.1.2026 को अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 10761/2025 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायलों को लगी कोई भी चोट जानलेवा नहीं पाई गई है। याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देते हैं और यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

6. प्रारंभ में एफआईआर धारा 115(2), 352, 351(2), 333 के तहत दर्ज की गई थी। हालांकि, जांच के दौरान आईपीसी की धारा 110 बीएनएस जोड़ी गई। किसी भी आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। एफआईआर के अनुसार, आवेदकों ने दो अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर प्रथम सूचना पक्ष पर हमला किया, जिसमें प्रथम सूचना पक्ष के चार लोगों को चोटें आईं, जो जानलेवा नहीं हैं।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले



में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं शिवपाल और आशुतोष की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष



उपस्थित होंगे और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेंगे;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार
सिन्हा)

18 मार्च, 2026



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**